परियोजना का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त , पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील-

जिला-अल्मोडा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु 0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे0 अर्थात कुल 2.43375 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत न्वितंद्र पत द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितर्इतिवारी, चितर्इ पन्त, मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारो ग्राम सचिव क्षेत्र- चितक केला । विकास केला विकास किल्लोहा

ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान ८००० ग्राम प्रथायत जना गंत्र कि. १०-हनास्त्राम (-१००१-१)

प्रपत्र-23 / 97294 - 30.3

परियोजना का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील-

entropi Marke " 1911 "

जिला-अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेट्शाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी०) परियोजना के निर्माण हेत् 0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0 17 है0 अर्थात कुल 2.43375 है0 वन भूमि का तोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेत् आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में गाम पंचायत चिन्द्र तिवारी द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सुंबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वर्न अधिकार अधिनियम २००६ के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा संपष्ट किया गया कि उन्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चितर्इतिवारी, चितर्इ पन्त, मन्योली, पूनाकोट, पेटशाल, बाड़ी आदि ग्रामों के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्साण खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेत् दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम संचिक्त का का ना (सहसोड़ा)

प्रधान प्राम प्रधान (त्यारी विकास ड हवाल्याग विकास अल्मोड्रा

प्रपत्र-23.1/ शरूप -30-4

दिनांक ॥ १०९ | २०१५ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत स्थिलई निस्सी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
4,,	- < - ट्रांसि राम	केलावा राम
2	गापिल्यं राभ	जानिक द्राय
3	-U04-1 =<181	21 - Sel 2111
Ч	भनाप कुशर	Ante goll
\$,	fant frie	Deven
6 11	TET RiE	rout
* 7 ₄	निरीय लाला	Cinishtal
		,
	The state of the s	1
		1

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी क्षेत्र-चित्र भाकारण विकास क्षानालनाम (अक्लोका) गाम गंचायत ि तई तिवारी विकास : ण्ड तार्वाम जिल्ला : २००१३।

दिनांक 11/09/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत चिन्द्र चेल

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	soof mins	(Wyg
	11E1 2014	10121212171
	7187 2019	10/2/2/2/18
*	Gn75/21 11416	P176/21
		0120 211
	miora contit	man 2/ 60 2/17
	म नोहर किर	क्राच्ये भ
	मान प्रथा म जमिशत बरिक्त आन्दाविक के	
	1-4-1852 Cay	पूरन राम
	Bind	ब्रामक् अमार
	THE TOTAL SOLVE	
9	R	राभितात

प्राम पंचायत विकास अधिकारो क्षेत्र- चित्र चित्रः क्षिमण मामसमान साम सम्मोसा ।

ग्राम प्रधान प्रधान <u>८. किर्</u> वाष्ट्र वर्त्त प्रत

प्रपत्र-23.1/ प्रारुप-30-2

दिनांक 11/09/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत चिन्द्र तिबेरी

क्यांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
4	TGAH RICE	15917 1508
2	न्ताश्र मिंह	ना न्यू किट
. 3	नित्र सिंह	3904178
4	- जापाल सिंह	ग्रापा भे हि
5	W-42 Rise	जिन्दर् १६
6	हर सिंह	EXTAE
7	न्यवीन चान्य	9 4/22 mol
8	महरा सिंह	HER WE
9.	Goked Janoly	परान्त रीत

ग्राम पंचायत विकास सिक्तारो क्षेत्र- चित्रर्र किनारी सिक्सक नहें लिलारी प्राम प्रधान ग्राम प्रधान विकास एड हवालबाग विकास करलोडी परियोजना का नाम:— जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 6.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 6.00 किमी०) (0.2700 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.99875 हे0 सिविल सोयम भूमि तथा वन पंचायत भूमि 0.17 हे0 अर्थात कुल 2.43875 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सिवित, (तहसील सोमेश्वर) की दिह्न १५५०% १५५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की मती चिक्क जिल्दा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपरिथति निम्नानुसार है।

- 1- श्री मानी रिंक किए. उपजिलाधिकारी, अल्मोड़ा अध्यक्ष
- 2- श्री भगवत सिंह जीना, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, सदस्य
- 4- श्री चंन्द्रन सिंह रोतिला बीठडीठसीठ क्षेत्र चित्र पंत्र चित्र किसे सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा में चितई पन्त तिराहे से हरी दत्त पेटशाल इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य नि०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लिखत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

07

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-...., जनपद अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ं हेप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-..... जनपद अल्मोड़ा

FORM-II

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No	Dated 1-12-14
----	---------------

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal Village (s) in Almora tahsils

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 2.43875 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.......
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Vinod ku जिल्ला हुआ कि कारी District Collection के Inora

खिला समाज कत्माण अधिकारी शत्मोड़ा

FORM-II

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

	Dated 1-12-14
No	Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of india's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognitation of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that 2.43875 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D. Almora for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road in Almora district falls within jurisdiction of Chatai Pant, Chatai pant tiwari, manyoli. Punakot. Petshal Village (s) in Almora tahsils

It is further certified that:

- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was s quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

Vinod kulmarisआधारारी District Collection के nora

बिता समाज करमाण श्रीवद्याची am Sabha (s), has earn a

empensation and amplion i

la (Cocal language) have been placed to fine a

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes &other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 11/2/1/2 at time 1/2/1/2 at Almora in which application claiming rights in Chatai Pant area measuring 2.43875 hec. for the for Construction of Link Motor Road from Chatai Pant tiraha to Hari datt Petshali Inter college (6.00 km.) in Almora-Ghat Motor Road of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Construction of Link Motor Read Case

विकास समाज कर्मा के कि following applicant duty pressure

leges (6.00 km.) in Abnorn-Cibat 11

Place; Almora Deputy Commissioner Cambairman

District Level Committe